रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220] नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2016/ज्येष्ठ 4, 1938
No. 220] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2016/JYAISTHA 4, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2016

फा. सं. मानक/एम. एंड एम. पी. आई. पी.(1)/एस. पी./एफ.एस.एस.ए.आई.-2015.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा प्राधिकरण के ईमेल पते regulation@fssai.gov.in पर भेजे जा सकेंगे ;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.5 के उप-विनियम 2.5.1 के खंड (क) में मद (IV) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(v) खरगोश प्रजाति (लेपोरिड्स);"।

पवन अग्रवाल, कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./104(187)]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा.सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:

(i) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;

(ii) फा.सं. पी./15014/1/2011-पीफए/एफ़एसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;

(iii) फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;

(iv) फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;

(v) फा.सं. 1-83एफ/एससीआई॰ पीएएन–अधि॰/एफ़एसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;

(vi) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;

(vii) फा.सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

(viii) फा.सं.पी॰15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

(ix) फा.सं.पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(x) फा.सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(xi) फा.सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

(xii) फा.सं.1-10(1)/स्टैण्डड्र्स/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016 और

(xiii) सं. 3-16/विनिर्दिष्ट/खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्यफ)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016 ।

MINISTRY Of HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May , 2016

F. No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015.–The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required

under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or send on email regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions, received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

DRAFT REGULATIONS

1. **Short title and commencement.—**(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 2.5, in sub-regulation 2.5.1, in clause (a), after item (iv), the following item shall be inserted, namely:-

“(v) Leporids;”.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./104(187)]

Note. : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* the following:

(i) F.No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;

(ii) F.No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;

(iii) F.No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013;

(iv) F.No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5th December, 2014;

(v) F. No.1-83F/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012 dated the 17th February, 2015;

(vi) F.No. 4/15015/30/2011, dated the 4th August, 2015;

(vii) F.No P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;

(viii) F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;

(ix) F.No P.15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;

(x) F.No. P.15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;

(xi) F.No. 7/15015/30/2012, dated the 13th November, 2015; and

(xii) F.No.1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11th January, 2016;

(xiii) No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Additive)/FSSAI- 2014 dated the 3rd May, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.